**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**26.06.2019 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 733 का उत्तर**

**सुरक्षा प्रणाली का उन्नयन**

**733. डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः**
**श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**
**डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः**
**डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः**
**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या अधिकांश प्रमुख रेलवे स्टेशनों में उन्नत सुरक्षा प्रणाली की कमी है;**

**(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, जैसा कि हवाई अड्डे पर मौजूद व्यवस्था की भांति प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और सामान की उच्च स्तरीय सुरक्षा और संरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) इस कार्य हेतु आवंटित/उपयोग की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है;**

**(घ) नवनिर्मित अत्याधुनिक रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जिनके पास एक उन्नत सुरक्षा प्रणाली है और अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों की प्रणाली को कब तक उन्नत किये जाने की संभावना है;**

**(ङ) क्या रेलवे सुरक्षा बल को अधिक जांच अधिकार देने के लिए, रेलवे का मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का इरादा है; और**

**(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आतंकवादी हमले से बचने और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों में अचूक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

*******

Sk

**सुरक्षा प्रणाली का उन्नयन के संबंध में 26.06.2019 को लोक सभा में डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत, डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले के अतारांकित प्रश्न सं. 733 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।**

**(क) से (घ): यात्रियों की पहुंच की प्रकृति के कारण रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था की तुलना नहीं की जा सकती। बहरहाल, रेलवे द्वारा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। 202 रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन विशिष्ट 'स्टेशन सुरक्षा योजना' के साथ साथ 'एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस)' की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया है ताकि इन निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच को नियंत्रित किया जा सके।**

**आईएसएस के लिए कुल आवंटित राशि 406.63 करोड़ रुपए है जिसमें से 31.03.2019 तक 197.82 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है।**

**(ङ) और (च): यद्यपि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है, यह महसूस किया गया है कि रेल सुरक्षा बल को यात्रियों के सामान की चोरी, जहरखुरानी और महिला यात्रियों के प्रति कदाचार से संबंधित अपराध के मामलों में अधिक शक्तियां प्रदान करना सुरक्षा प्रणाली के लिए लाभकारी है। फिलहाल इस विचार के संबंध में परामर्श किया जा रहा है। बहरहाल, यात्रियों की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए रेलवे द्वारा रेल सुरक्षा बल के माध्यम से अन्य उपाय अपनाए गए हैं जिनमें गाड़ियों का मार्गरक्षण, महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण, दोषियों के विरूद्ध रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाना, राजकीय रेलवे पुलिस और संबंधित जिला पुलिस के साथ समन्वयन आदि शामिल हैं। रेलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए सभी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में संबंधित राज्य / संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक / आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है।**

*****

Sk